

राष्ट्रीय लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती ज्योति मीणा, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या 564/2016 प्रार्थनापत्र

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

शम्भूसिंह पिता सुजानसिंह राजपूत निवासी बागथला तहसील फूलियाकलां

प्रार्थी

बनाम

1. गोपालसिंह पिता हिम्मतसिंह राजपूत निवासी डियास तह० फूलियाकलां
2. मदनलाल पिता मांगीलाल ब्राम्हण निवासी बड़ला त० फूलियाकलां

विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 11.02.2017

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं :- प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बड़ला पटवार मण्डल अरवड़ तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाड़ा में स्थित खाता संख्या 193 में से आराजी नम्बर 601 रकबा 0.36 है०, आ०न० 602 रकबा 1.08 है०, आ०न० 604 रकबा 0.17 है०, आ०न० 606 रकबा 0.14 है०, 631 रकबा 0.71 है० आराजी कुल कित्ता 05 रकबा 2.46 है० का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई तथा बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम बड़ला संवत् 2070 से 2073 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात



के प्रार्थी खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा बड़ला मे स्थित प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी की आराजीयात किता 05 रकबा 2.46 हैक्टर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार, फूलियाकलां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 1000/- रुपये (अक्षरे एक हजार रुपये मात्र) कायम किये जाते है जो प्रार्थी से तहसीलदार फूलियाकलां मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



( ज्योति मीणा )

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार, फूलियाकलां पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी,

फूलियाकलां

उपखण्ड अधिकारी एवं

सहायक कलेक्टर

फूलिया कलां, जिला-भीलवाड़ा

2